

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

कुमारी अरुणा बिस्सा व्याख्याता-अंग्रेजी, श्रीमती किशनीदेवी मगनीराम मांहता राबाउमावि जैसलमेर के द्वारा राजस्थान सेवा नियम-08 में उल्लेखित कार्यवाही/शर्तों को पूर्ण कर अपना उपनाम श्रीमती अरुणा व्यास परिवर्तित किया है।

अतः वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 1(3) एफडी(रूल्स)/2017 जयपुर दिनांक 15.02.2018 के परिप्रेक्ष्य में कुमारी अरुणा बिस्सा व्याख्याता-अंग्रेजी, के राजकीय सेवा संबंधित समस्त अभिलेखों में इनका नाम कुमारी अरुणा बिस्सा के स्थान पर श्रीमती अरुणा व्यास अंकित करने की विभागीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

भविष्य में कुमारी अरुणा बिस्सा से संबंधित राजकीय आदेश, कार्यों, सेवा पुस्तिका एवं सेवा अभिलेख में परिवर्तित नाम "श्रीमती अरुणा व्यास" से जारी किये जावें।



(सौरभ स्वामी)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-1/अंग्रेजी-संस्कृत/नाम परिवर्तन/2015-16 दिनांक: 30/03/2021
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, जयपुर।
2. संबंधित उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधी विभाग,
3. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा,
5. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,
6. संबंधित प्रधानाचार्य,
7. संबंधित कार्मिक
8. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/संस्थापन सी-2 (प्रभाग-ओएसी)/संस्थापन-एबी/वि0जांच अनुभाग कार्यालय हाजा
9. रक्षित



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर